प्राकृतिक रूप से उगाया जाता है और यह कि यह आदिवासियों की आजीविका का स्रोत है और उससे कोसा रेशमी धागा तैयार होता है ;

(ख) आदि हां, तो यह सुनिश्चित करने के लिए कि इस रेशमी धागे के उत्पादन से संबंधित आदिवासी पर्याप्त आय का अर्जन कर पाये हैं; क्या कार्यवाही की जा रही है ;

(ग) क्या आदिवासी क्षेत्रों के लिए कोई योजना तैयार की जाएगी और उसे वहां कार्यान्वित किया जाएगा, ताकि रेशमी धागे का उत्पादन बढ़ सके ; और

(घ) क्या ऐसी योजना देश के किसी अन्य राज्य में भी कार्यान्वित की जा रही है, यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मंत्री साथ में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार (श्री शरद यादव) : (क) जी, हां ।

(ख) केन्द्रीय रेशम बोर्ड (सी०एस० बी०) ने तसर रेशम कीट पालन के लिए किसानों को तसर रेशमकीट बीज को और बढ़ाने और वितरण के लिए मध्य प्रदेश में छः बेसिक सीड विस्तार तथा प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना की है। ये प्रशिक्षण केन्द्र उन्हें अपनी आय बढ़ाने के लिए कीट पालन उत्पादकता में सुधार के लिए तसर रेशम कीट पालन की उन्नत तकनीकों में प्रशिक्षण भी देते हैं । केन्द्रीय रेशम बोर्ड (सी.एस.बी.) ने तसर कीट पालन मेथा कताई की आधुनिक तकनीकों में जनजाति तसेर कीटपालकों के समक्ष प्रदर्शन और प्रशिक्षण देने के लिए मध्य प्रदेश में प्रदर्शन सह प्रशिक्षण केन्द्र भी स्थापित किया है । जनजातियों को विपणन सहायता प्रदान करने और बिचौलियों द्वारा जनजातियों के शोषण को समाप्त करने के लिए केन्द्रीय रेशम बोर्ड (सी.एस.बी.) ने रायगढ़ में एक कच्चा माल बैंक (उप-डिपो) स्थापित किया है ।

(ग) और (घ) केन्द्रीय रेशम बोर्ड (सी०एस०बी०) ने तसर रेशम के उत्पादन को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित तसर विकास परियोजनाएं तैयार की है :—

(1) पांच वर्षों की अवधि में 21 करोड़ रुपए की लागत से उष्णकटिबंधीय तसर विकास परियोजना, जिसमें शामिल है बिहार, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, आन्ध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और कर्नाटक राज्य ।

(2) 4 वर्षों की अवधि में 14 करोड़ रुपए की लागत से तसर रेशमकीट बीज परियोजना जिसमें शामिल है बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र, आन्ध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, और उत्तर प्रदेश राज्य।

(3) चार वर्षों की अवधि में 5.59 करोड़ रुपए की लागत की एक अनुवर्ती चरण की अन्तरराज्यीय तसर परियोजना स्विस सहायता से उड़ीसा और महाराष्ट्र राज्यों में कार्यान्वित की जा रही है ।

गांजे और अफीम की खेती

2116. **श्री अजीत जोगी :**

श्री मोहन लाल झूलिया :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि संबद्ध विभाग के कर्मचारियों की मिलीभगत से प्रतिवर्ष गांजे और अफीम की खेती हेतु भूमि के अधिकृत क्षेत्र से अधिक क्षेत्र पर इनकी खेती की जा रही है, जिससे इनकी तस्करी की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलता है ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रवृत्ति को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ; और

(ग) क्या इस संबंध में वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा कोई कार्यवाही की गई है अथवा छापे मारे गए हैं; यदि हों, तो उसका कारण क्या है ?

वित्त मंत्री (प्रो. मधु दण्डवते): (क) से (ग) गैर चिकित्सीय और गैर वैज्ञानिक प्रयोजनों के लिए अफीम-पोस्त तथा कैनाबिस (गांजा) की खेती करना स्वापक औषध द्रव्य और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के अन्तर्गत वर्जित है ।

जहां तक चिकित्सीय प्रयोग के लिए वैध अफीम-पोस्त की काश्त करने का संबंध है, काश्तकार को लाइसेंस के अन्तर्गत दिये गये क्षेत्र का तथा वास्तविक रूप में काश्त किये गये क्षेत्र का सत्यापन करने के लिए प्रारम्भिक तथा जांच-माप की जाती है । क्षेत्र के प्रभारी प्रवर्तन अधिकारियों से भिन्न, प्रवर्तन अधिकारियों द्वारा यह जांच-माप की जाती है ताकि काश्तकार तथा प्रवर्तन अधिकारियों के बीच किसी तरह की सांठ-गांठ न हो सके । यदि अनुज्ञात क्षेत्र से अधिक क्षेत्र में काश्त करने के किसी मामले का पता चलता है अथवा ऐसा कोई मामला नारकोटिक्स विभाग के ध्यान में लाया जाता है तो इस पर उपयुक्त कार्यवाही करने के लिये इसे गंभीरता से लिया जाता है ।

स्वापक औषध द्रव्य तथा मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के उपबन्धों के अन्तर्गत कैनाबिस अथवा अफीम-पोस्त की अवैध काश्त के लिये निवारक सजा, नामतः 10 वर्षों के कठोर कारावास की अनिवार्य न्यूनतम सजा और एक लाख रुपये का जुर्माना लगाने की व्यवस्था है जिसे 20 वर्षों के कठोर कारावास तथा दो लाख रुपये के जुर्माने तक बढ़ाया जा सकता है ।

जहां कहीं भी अफीम-पोस्त अथवा गांजे की अवैध काश्त के बारे में सरकार को पता चलता है तो छापे मारकर ऐसी काश्त का पता लगाने तथा उसका उन्मूलन करने के लिए कार्यवाही की जाती है । वर्ष 1988 तथा 1989 के दौरान किए गए ऐसे अभियानों का ब्यौरा निम्नानुसार है :

	नष्ट की गई अवैध काश्त का क्षेत्र (एकड़ में)	
	1988	1989
(क) अफीम-पोस्त की काश्त	50	244
(ख) कैनाबिस की काश्त	1187	3139

रेशम का उत्पाद बढ़ाने के लिए शहतूत की खेती को बढ़ावा देने की योजना

2117. श्री अजीत जोगी
श्री सोहन लाल ढुस्सिया :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में शहतूत की खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कोई योजना तैयार की है ताकि रेशम के उत्पादन को बढ़ाया जा सके ;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या वित्तीय और भौतिक लक्ष्य रखे गये हैं ;

(ग) इस संबंध में किसानों को क्या-क्या सुविधाएं और रियायतें दी जायेंगी;

(घ) क्या इस प्रकार की योजना देश के अन्य राज्यों में चल रही हैं और

(ङ) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मंत्री और साथ में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार (श्री शरद यादव): (क), (घ) और (ङ) केन्द्रीय रेशम बोर्ड ने 5